GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO *94
ANSWERED ON – 26.07.2022

CHANGE IN GST SLABS

94#. SHRI BRIJLAL:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government is contemplating to change the GST slabs, and if so, the details thereof;
(b) whether Government is also contemplating to relax the mandatory provisions of einvoice, and if so, the details thereof; and
(c) the manner in which common people would be benefited by the change in GST slabs; and
(d) whether it would also affect the revenue collection of Government, and if so, the details thereof?

ANSWER

<u>MINISTER OF FINANCE</u>
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN

(a) to (d): A statement is placed on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 94 RAISED BY SHRI BRIJLAL FOR 26TH JULY, 2022 ON CHANGE IN GST SLABS

(a) : GST rates/ rate slabs applicable on goods and services are prescribed on the recommendations of the GST Council. GST Council has not made any recommendation for change in the existing GST rate slabs so far. A Group of Ministers (GoM) has been constituted by the GST Council in its 45th meeting held on 17th September, 2021. One of the terms of reference of the GoM is to *"review the current rate slab structure of GST, including special rates, and recommend rationalization measures, including merger of tax rate slabs, required for a simpler rate structure in GST"*.

(b) : At present, there is no such proposal. Currently, E-invoicing is mandatory for taxpayers with aggregate turnover of more than Rs. 20 crore in a financial year with effect from 01.04.2022.

(c) and (d) : The GST Council takes into account all relevant factors while making any recommendation. These include calibrating the interest of common man and the needs of revenue. A simplified rate structure would ease compliance and provide greater transparency.

***

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
<u>राज्य सभा</u>
<u>तारांकित प्रश्न सं.</u> *94
(जिसका उत्तर मंगलवार, 26 **जुलाई,** 2022/**श्रावण** 4, 1944 **(शक) को दिया जाना है)**

<u>जीएसटी स्लैब में बदलाव</u>

94# **श्री बृजलाल:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जीएसटी स्लैब में बदलाव करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ई-बीजक के अनिवार्य प्रावधान में छूट देने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जीएसटी स्लैब में बदलाव करने से आम लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे; और

(घ) क्या इससे सरकार के राजस्व संग्रह पर भी प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमन)

(क) से (घ): एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"जीएसटी स्लैब में बदलाव" के बारे में दिनांक 26 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री बृजलाल द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:-

(क): वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें/दर स्लैब जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित हैं। जीएसटी परिषद ने अभी तक मौजूदा जीएसटी दर स्लैब में बदलाव के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। जीएसटी परिषद द्वारा 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। जीओएम के संदर्भ की शर्तों में से एक है "विशेष दरों सहित जीएसटी की वर्तमान दर स्लैब संरचना की समीक्षा करना, और जीएसटी में सरल दर संरचना के लिए आवश्यक कर दर स्लैब के विलय सहित युक्तिकरण उपायों की सिफारिश करना"।

(ख) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में, एक 20 करोड़ अधिक के कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए ई-च 01.04.2022

(ग) और (घ): जीएसटी परिषद कोई भी सिफारिश करते समय सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखती है। इनमें आम आदमी के हित और राजस्व की जरूरतों को कैलिब्रेट करना शामिल है। एक सरलीकृत द को आसान बनाएगी और अधिक पारदर्शिता प्रदान कर

******

श्री सुशील कुमार मोदी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों पल्सेज़ पर, चावल पर, दही पर, लस्सी पर जो पांच परसेंट का GST लगाया गया तो लगाने वाली जो GST काउंसिल है और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें क्या दिल्ली के, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके वित्त मंत्री मौजूद थे कि नहीं थे?..(**व्यवधान**)... राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है और बंगाल, जहां टी.एम.सी. की सरकार है, उनके वित्त मंत्री वहां मौजूद थे कि मौजूद नहीं थे और उन लोगों ने इस बढ़ोतरी का समर्थन किया या विरोध किया? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, वे बतायें कि क्या इन राज्यों के वित्त मंत्री इस टैक्स वृद्धि के पक्ष में थे या उन्होंने नोट ऑफ डिस्सेंट दिया या वहां उसका विरोध किया?

श्री पंकज चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, वर्ष 2017 के बाद GST काउंसिल स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेती है।..(**व्यवधान**)...माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, यह सही है कि GST काउंसिल की 45वीं बैठक में इसकी दरों के लिए मंत्रियों का एक समूह (GoM) बनाया गया था।..(**व्यवधान**)... इस समूह के सदस्य इस प्रकार थे कर्णाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्य मंत्री, बिहार, माविन गोडिन्हो जी, परिवहन और पंचायती राज मंत्री, गोवा, श्री के.एन. बालागोपाल, वित्त मंत्री, केरल, श्री शान्ति कुमार धारीवाल, स्थानीय निकाय और शहरी विकास मंत्री, राजस्थान, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री चन्द्रिमा भट्टाचार्य, वित्त राज्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल। 24 सितम्बर, 2021 को श्री बसवराज बोम्मई, मुख्य मंत्री, कर्नाटक की अध्यक्षता में...(**व्यवधान**)...यह ग्रुप स्थापित किया गया। इस तरह स्पष्ट होता है कि GST प्रशासन में केरल के भी लोग थे, बंगाल के भी लोग थे, राजस्थान के भी लोग थे और ...(**व्यवधान**)...GoM सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। इन सबकी सहमति के आधार पर ही GoM ने अपना निर्णय लिया है।..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, डा. अशोक बाजपेयी जी सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मेरा आग्रह है कि वे पहले अपनी सीट पर बैठें। ...(**व्यवधान**)...आप न बोलें। प्लीज़ बैठें और अपने मेम्बर्स को वापस लें। कृपया अपनी सीट पर बैठें। डा. अशोक बाजपेयी जी।...(**व्यवधान**)...

डा. अशोक बाजपेयी : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक देश, एक टैक्स के सिद्धान्त को लागू करते हुए क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर समान GST की दर लगाने पर कोई विचार हो रहा है या नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं, क्योंकि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के समान मूल्य हों, ऐसी सरकार की नीति होनी चाहिए, इस पर माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री पंकज चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया कि GST काउंसिल बनने के बाद से ये निर्णय वहीं लिए जाते हैं। इसमें सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इस प्रस्ताव पर GST काउंसिल , यथा समय, जब वह उचित समझेगी, विचार करेगी।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय देरेक जी सवाल पूछना चाहते हैं, आप सबसे आग्रह है, कम से कम आप लोग अपनी सीट पर जाइये। देरेक जी, आप बैठ जायें। आप बड़े सीनियर मेम्बर हैं। ...(**व्यवधान**)...मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने मेम्बर्स को वापस बुलाइये। आप अपने सदस्यों से आग्रह करिए, ...(**व्यवधान**)... सब लोग सुनें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, ...(**व्यवधान**)... सवाल पूछने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल : सर, जिस प्रकार से ये डिस्टर्ब करते हैं, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... देरेक जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आपके सदस्य वैल में हल्ला कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... No; you cannot dictate to the Chair, Mr. Derek. You ask your Members to go back; otherwise, I am not going to give you the opportunity. Please...*(Interruptions)*.. I will call you, Derek*ji*. Please ask your Members to go back. ...(Interruptions).. No, no. Your Members are in the Well. Please...(Interruptions)..

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it is my right. ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are also the Leader of TMC.....*(Interruptions)*..

SHRI DEREK O'BRIEN: You must give me my supplementary. ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You also cannot dictate to the Chair. Please. ...(Interruptions).. No. ...(Interruptions).. I will call Raghav Chadha*ji*. Raghav*ji*, please put your question. ...(Interruptions).. आप बैठिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाएँ, अपने मेम्बर्स को वापस बुलाएँ। ...(**व्यवधान**)... आप अपने मेम्बर्स को वापस बुलाएँ, मैं मौका दे रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... देरेक जी, आप खुद स्लोगन लगा रहे हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ! ...(**व्यवधान**)... Mr. Raghav Chadha, please put your question. ...(Interruptions)..

श्री राघव चड्ढा : सर, आज पूरा सदन एक बेहद गम्भीर विषय पर बहस माँग रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question. ...*(Interruptions)*.. You have no question ...(Interruptions).. I am moving to Question No.95; Dr. Kirodi Lal Meena. ...*(Interruptions)*..